संसदीय राजभाषा समिति - प्रतिवेदन - खण्ड - 8 - वर्ष, 2005

सिफारिशें

1. भाग-1 अध्याय-2 में समिति द्वारा की गई टिप्पणियों के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा ठोस कदम उठाए जाएं ।

2- निम्नलिखित मंत्रालय/विभाग,

(i) गृह मंत्रालय;

(ii) कोयला एवं खान मंत्रालय;

(iii) रक्षा मंत्रालय;

(iv) रसायन और उर्वरक मंत्रालय;

(v) ग्रामीण विकास मंत्रालय;

(vi) विद्युत मंत्रालय;

(vii) इस्पात मंत्रालय

जिनमें समिति के आकलन से पता चलता है कि 25% से अधिक अधिकाकरी/कर्मचारी हिंदी में अप्रशिक्षित हैं, को चाहिए कि वह स्थिति को गंभीरता से लेते हुए कंप्यूटर प्रणाली अथवा पत्राचार से प्रशिक्षण का कार्य वर्ष भर में पूरा करवाएं । राजभाषा विभाग अपनी हिंदी शिक्षण योजना के तहत इन विभागों के लिए विशेष योजना बनाकर इस कार्य में सहयोग दें ।

3. सचिव (राजभाषा), मंत्रालयों/विभागों आदि में राजभाषा नियम, 1976 के नियम-5 के उल्लंघन की स्थिति को संबसधित विभागों के सचिवों के साथ उठाएं । सूची पृ0 42-44 पर।

4 (i) निम्नलिखित मंत्रालय/विभाग,

(क) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय;

(ख) रक्षा मंत्रालय;

(ग) पोत परिवहन, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय और

(घ) कृषि मंत्रालय

में बड़ी संख्या में अंग्रेजी के कोड/मैनुअलों को देखते हुए इन मंत्रालयों में विशेष कार्य बल गठित किया जाना चाहिए, जिनमें केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग तथा विभागीय हिंदी अनुवादकों और तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाए ताकि इन कोड/मैनुअलों का अनुवाद एक साल के भीतर पूरा हो जाए ।

(ii) परमाणु ऊर्जा विभाग; रसायन और उर्वरक मंत्रालय; विद्युत मंत्रालय; वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; योजना मंत्रालय; गृह मंत्रालय; मानव संसाधन विकास मंत्रालय; पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ताकि नागर विमानन मंत्रालय ठेके के आधार पर इन कोड/मैनुअलों का अनुवाद गैर-सरकारी एजेंसियों से करवाएं और इस कार्य को 6 से 9 महीने के भीतर पूरा करवाएं ।

(iii) शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय; कोयला एवं खान मंत्रालय; सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय; रेल मंत्रालय; जल संसाधन मंत्रालय; युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय; विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय; वित्त मंत्रालय तथा श्रम मंत्रालय एक कार्ययोजना बनाकर छह: महीने के भीतर सभी कोड/मैनुअलों को द्विभाषी कर लें ।

(iv) विधि और न्याय मंत्रालय; विदेश मंत्रालय; कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय; पर्यावरण एवं वन मंत्रालय; संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय; उपभोक्ता मामले; खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय; महासागर विकास विभाग; भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय; जनजातीय कार्य मंत्रालय; ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा वस्त्र मंत्रालय अंग्रेजी में

उपलब्ध कोड/मैनुअलों को स्वयं तीन महीने में अनुवाद कराने की व्यवस्था कराएं।

5. निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों

(i) मानव संसाधन विकास मंत्रालय;

(ii) संस्कृति मंत्रालय;

(iii) जल संसाधन मंत्रालय;

(iv) उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

में अंग्रेजी प्रकाशन हिंदी के प्रकाशनों से बहुत ज्यादा हैं । ऐसी स्थिति में इन मंत्रालयों के सचिव अपने अधीनस्थ संस्थनों (सूची पृ0. 47-49 पर) में इस विषय पर व्यक्तिगत तौर पर ध्यान दें ताकि स्थिति में सुधार हो सके ।

(क्रम सं0. 2-5 का संदर्भ: भाग-2, अध्याय-5)

6. सेवा पंजिकाओं/सेवा अभिलेखें में हिंदी/द्विभाषी रबड़ स्टाम्प की सहायता से रूटीन प्रविष्टियाँ की जाएं । इन रबड़ की मोहरों को देश के सभी केंद्रीय कार्यालयों में प्रयोग हेतु मानकीकृत किया जाए । फलत: 'समस्त/यथासंभाव प्रविष्टियां' करने संबंधी प्रावधान को हटाया जा सकता है ।

7. 'ग' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए भी रजिस्टरों में प्रविष्टियों का न्यूनतम प्रतिशत निर्धारित किया जाए और रजिस्टरों में हिंदी में यथासंभव प्रविष्टियों जैसा प्रावधान समाप्त कर दिया जाए ।

8. चूंकि तीनों नवसृजित राज्य-छत्तीसगढ़, उत्तारांचल और झारखंड उन राज्यों में से सृजित किए गए हैं जो 'क' क्षेत्र में आते हैं और इन राज्यों में प्राय: समस्त कार्य हिंदी में ही होता है अत: इन्हें भी 'क' क्षेत्र में ही रखा जाए । इस संबंध में राजभाषा विभाग राजभाषा नियम, 1976 में यथावश्यक संशोधन करने की कार्रवाई करे ।

(क्रम सं0. 6-8, का संदर्भ: भाग-2, अध्याय-6)

9. कार्यालय में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मॉनीटरिंग की व्यवस्था सुदृढ़ की जानी चाहिए तथा वरिष्ठ अधिकारी के स्तर पर जांच बिंदु बनाए जाने चाहिए ।

10. जिन मंत्रालयों में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन 90% से भी कम है उन कार्यालय प्रमुखों के साथ मंत्रालय/विभाग के सचिव व्यक्तिगत रूप से मामला उठाएं **(उक्त कार्यालय की सूची पृ0. 59 पर उपलब्ध है)** ।

11. कार्यालयों में जब कभी हिंदी कार्यशाला आयोजित की जाए, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) की अनिवार्यता पर हर कार्यशाला में कुछ समय आबंटित किया जाए । इसके अलावा सामान्य आदेश के संबंध में अधिकतम चर्चा की जाए जिससे इस मद में आने वाले सभी कागजातों की जानकारी प्रदान की जा सके ।

12. समिति ने चौथे खंड में सिफारिश की थी कि 'क' क्षेत्र में केवल संसद के समक्ष रखे जाने वाले कागजातों को छोड़कर सभी कागजात केवल हिंदी में जारी किए जाएं । 'क' क्षेत्र में अद्यतन स्थिति को देखते हुए समिति पुन: यह सिफारिश करती है कि उपरोक्त कागजातों के अतिरिक्त राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजातों के संबंध में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाए । जिन राज्यों में अभी तक हिंदी को राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है गृह मंत्रालय द्वारा पहल करके उनसे चर्चा की जाए कि वह अपने राज्य की राजभाषा के साथ-साथ हिंदी को भी राजभाषा का दर्जा प्रदान करें ।

(क्रम सं0. 9-12 का संदर्भ: भाग-2, अध्याय-7)

13. राजभाषा विभाग, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के माध्यम से हिंदी/भाषा/आशुलिपि/टाइपिंग प्रशिक्षण का सघन अभियान चलाकर प्रशिक्षण सुविधाओं को प्रत्येक कार्यालय तक पहुंचाएं ।

14. 'ग' क्षेत्र में दक्षिण भारतीय भाषाओं के माध्यम से हिंदी प्रशिक्षण के लिए कम्प्यूटर प्रणाली पर आधारित 'ऑन-लाइन' हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए।

15. अध्याय-8 के अनुलग्नक पर इंगित शहरों में हिंदी शिक्षण योजना के तहत हिंदी आशुलिपि एवं हिंदी टंकण के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए ।

16. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों के आयोजन में काफी बड़ी राशि व्यय होती है, अतः सरकार को प्रति बैठक की मौजूदा राशि रूपये 3000/- से बढ़ाकर रूपये 10,000/- कर देनी चाहिए अथवा सदस्य कार्यालयों द्वारा लिए जाने वाले योगदान की संहिताबद्ध (कोडिफाई) किया जाए ताकि सदस्य कार्यालयों को इस राशि की मंत्रालयों/मुख्यालयों से स्वीकृति आदि प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो ।

17. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के प्रभावी संचालन हेतु नराकास सचिवालय को स्थायी तौर पर अतिरिक्त मानव संसाधन एवं अन्य आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाया जाना चाहिए ।

18. प्रत्येक क्षेत्र में राजभाषा गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष नराकास अध्यक्षों का एक सम्मेलन आयोजित किया जाना चाहिए तथा राजभाषा नीति व लक्ष्यों के निर्धारण के मामले में इनकी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए ।

19. अहिंदी भाषी क्षेत्रों विशेषकर तमिलनाडु केरल एवं कर्नाटक जैसे राज्यों में हिंदी समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं के प्रकाशन तथा इनसे जुड़े हिंदी पत्रकारों के प्रोत्साहन हेतु विशेष योजनाएं चलाई जाएं ।

20. नराकास की बैठकों में राजभाषा विभाग, नई दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारियों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया जाए ।

21. क्षेत्र 'ग' में स्थित प्रत्येक केंद्रीय कार्यालय में कम से कम एक हिंदी स्टाफ की तैनाती अनिवार्य की जाए ।

22. अध्याय 8 के पैरा 8.33-8.45 में दिए गए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्षों से प्राप्त सुझावों पर राजभाषा विभाग उचित कार्यवाही करें ।

(क्रम संख्या 13-22 का संदर्भ: भाग-2, अध्याय-8)

23. मंत्रालयों/विभागों तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों को उनका विनिर्दिष्ट कार्य करने के लिए व्यक्तिश: आदेश जारी करने के साथ-साथ उन्हें अपना समस्त कार्य हिंदी में करने के लिए विशेष रूप से प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाए ।

24. भविष्य में कोई भी कोड/मैनुअल केवल अंग्रेजी में तैयार न किया जाए और इस समय अंग्रेजी में मौजूद समस्त कोड/मैनुअल एक वर्ष के भीतर द्विभाषी करा लिए जाएं ।

25. 'क' क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों/निगमों आदि में 50% 'ख' क्षेत्र के कार्यालयों में 30% और 'ग' क्षेत्र के कार्यालयों में 20% अनुभागों को पूरा काम हिंदी में करने के लिए निर्दिष्ट किया जाए । सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि के बारे में जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं है,

समिति अनुशंषा करती है कि ऐसे उपक्रमों/निगमों आदि में 'क' क्षेत्र में कुल कार्य क्षेत्र का 50% 'ख' क्षेत्र में 30% और 'ग' क्षेत्र में 20% कार्य हिंदी में किया जाए ।

26. कार्यालयों में सरल, सुबोध एवं उपयोगी हिंदी पुस्तकों की खरीद पर विशेष ध्यान दिया जाए । अधिकारियों/कर्मचारियों को पठन-पाठन हेतु प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने के लिए देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े सेनानियों, देशभक्तों तथा शहीदों की जीवनियां एवं आत्मकथा तथा रोचक एवं कालजयी उपन्यास आदि भी खरीदे जाएं ।

27. दिल्ली (क क्षेत्र) स्थित कार्यालयों में राजभाषा नियम, 1976 के नियम-5 का उल्लंघन किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं है । विशेष तौर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव उनके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली तथा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली के साथ राजभाषा नियम, 1976 के नियम-5 के उल्लंघन के मामले को उठाएं और यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में इस प्रकार का उल्लंघन न होने पाए । इसी प्रकार सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के साथ; सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली के साथ; सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय आयुर्वेद एवं सिध्द परिषद, नई दिल्ली और भारतीय चिकितसा पध्दति, नई दिल्ली के साथ; और सचिव, कृषि मंत्रालय, भारतीय राज्य फार्म निगम, नई दिल्ली के साथ मामले को उठाएं और राजभाषा नियमद्ध 1976 के नियम-5 का अनुपालन सुनिश्चित करें ।

28. राजभाषा नीति का कार्यान्वयन अधिक प्रभावी रूप से हो सके और संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आधारित राष्ट्रपति जी के आदेशों का समुचित अनुपालन हो, इस उद्देश्य से समिति यह सिफारिश करती है कि केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में करवाई जाए और सभी विभागों के सचिव इस समिति के सदस्य हों । जब सचिव मंत्रिमंडल इस समिति के अध्यक्ष होंगे तो अन्य विभागों के सचिव भी राजभाषा से संबंधित नियमों इत्यादि के कार्यान्वयन को उचित गंभीरता से लेंगे।

(क्रम संख्या 23-28 का संदर्भ: भाग-2, अध्याय-9)

29. तकनीकी, वैज्ञानिक, शोध व अनुसंधान से जुड़े विभिन्न विषयों से संबंधित हिंदी साहित्य को एक जगह उपलब्ध कराने के लिए सरकार शीघ्र ही वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी पुस्तक-बैंकों की स्थापना करे जो ऐसी पुस्तकों/साहित्य को प्रयोक्ताओं एवं उपभोक्ता संस्थनों को उपलब्ध कराएं अथवा उन्हें प्राप्ति स्रोतों की जानकारी दें ।

30. वैज्ञानिक, तकनीकी व शोध से संबंधित विषयों पर उपलब्ध समस्त साहित्य का वृहत् स्तर पर प्रचार किया जाए ताकि उपभोक्ता संस्थान अपनी कार्य प्रकृति के अनुसार हिंदी में उपलब्ध साहित्य आसानी से प्राप्त कर सकें । इस प्रक्रिया को नियमित अंतराल पर दोहराते रहना चाहिए ।

31. अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध शोध साहित्य अथवा वैज्ञानिक व तकनीकी साहित्य का स्तरीय हिंदी अनुवाद सुलभ कराने के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के तहत् एक गहन वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की जाए, जिसमें विभिन्न प्रकार के विज्ञान विषयों के स्नातकोत्तार एवं/अथवा विभिन्न इंजीनियरी डिग्री धारकों को, जिन्हें हिंदी का पर्याप्त ज्ञान हो अथवा जो ऐसे विषयों का स्तरीय हिंदी रूपान्तर देने में सक्षम हों, नियुक्त किया जाए । ऐसे विशेषज्ञ तकनीकी

अनुवाद अधिकारियों को सहायक निदेशक (रा.भा.) के समकक्ष अथवा इससे उच्चतर वेतनमान दिया जाए ।

32. विज्ञान/तकनीकी/शोध से संबंधित विषयों पर हिंदी में मौलिक रूप से लिखने वाले ऐसे लेखकों को समुचित रायल्टी का प्रावधान किया जाए, जिनकी पुस्तकों का संस्थानों में नियमित रूप से कार्यात्मक अथवा पाठयक्रम के रूप में उपयोग किया जाता हो ।

33. 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में उच्च शिक्षा अर्थात् विश्वविद्यालयों में इंजीनियरी, कम्प्यूटर, शोध, तकनीकी विषयों आदि की शिक्षा हिंदी माध्यम से भी दी जाए एवं पाठयक्रम व पाठय पुस्तकें भी हिंदी में तैयार की जाएं ।

34. वार्षिक कार्यक्रम 2004-05 में तथा उसके पश्चात् राजभाषा विभाग ने पुस्तकों की खरीद के संबंध में पूर्व निर्धारित लक्ष्य में संशोधन कर इसें जर्नल्स एवं मानक संदर्भ पुस्तकों की खरीद पर व्यय को शामिल नहीं किया है । समिति इस संशोधन पर पुनर्विचार की आवश्यकता महसूस करती है, क्योंकि यदि यह छूट अनिश्चित समय के लिए लागू रही तो इसका हिंदी के दूरगामी उद्देश्य पर विपरीत असर पड़ेगा ।

35. हिंदी पुस्तकों की खरीद के मामले में गैर-तकनीकी/प्रशासनिक कार्यालयों के लक्ष्य से पीछे रहने का कोई ठोस कारण नहीं है । अतः संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा ऐसे कार्यालयों पर सतत निगरानी रखी जानी चाहिए ।

(क्रम संख्या 29-35 का संदर्भः भाग-3, अध्याय-10)

36. उप सचिव या उन उच्चाधिकारियों के लिए जिन्हें कम्प्यूटर उपलब्ध कराया गया है, कम्प्यूटरों पर हिंदी के उपयोग का कम से कम एक सप्ताह का क्रैश पाठयक्रम आयोजित किया जाए और 'क', 'ख' तथा 'ग' क्षेत्रों के

आधार पर उनके लिए देवनागरी में कम्प्यूटर पर कार्य का लक्ष्य भी निर्धारित किया जाए ।

37. किसी एक एजेंसी से मानकीकृत देवनागरी सॉफ्टवेयर बनवाया जाए जो केंद्रीय सरकार के अधीन सभी मंत्रालयों एवं उनके संबध्द/अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी के कार्यों में एकरूपता ला सके ।

38. सरकारी क्षेत्र के बैंकों में आँकड़ा संसाधन का काम द्विभाषी या हिंदी में हो, इसके लिए तथा सभी बैंकों के सॉफ्टवेयर में एकरूपता हो इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक/वित्ता मंत्रालय ठोस कदम उठाएं ।

39. क्रेडिट कार्ड, ए.टी.एम. आदि सेवाओं को भी हिंदी अथवा द्विभाषी करवाया जाए ।

40. वित्त मंत्रालय सभी बीमा कंपनियों द्वारा जारी की जाने वाली बीमा पॉलिसियों को हिंदी अथवा द्विभाषी बनवाए जाने हेतु शीध्र कार्रवाई करे ।

41. एम.टी.एन.एल. तथा बी.एस.एन.एल. द्वारा जनता को भेजे जाने वाले बिलों में प्रविष्टियाँ हिंदी अथवा द्विभाषी में की जाएं ।

42. दूरदर्शन अपने हिंदी चैनलों के कार्यक्रमों में शीर्षक (Caption) आदि हिंदी में प्रसारित करे । इसके लिए उचित सॉफ्टवेयर की व्यवस्था की जाए।

43. रेल मंत्रालय तथा नागर विमानन मंत्रालय रेलवे प्लेटफार्मों तथा हवाई अड्डों पर सूचना प्रसारण हेतु लगाए गए डिजिटल बोर्डों में हिंदी अथवा द्विभाषी सूचना के प्रसारण हेतु कार्रवाई करें ।

44. जब भी कोई मंत्रालय/विभाग या उसका कोई कार्यालय या उपक्रम अपनी वेबसाइट तैयार करे तो वह अनिवार्य रूप से द्विभाषी तैयार किया

जाए। जिस कार्यालय का वेबसाइट केवल अंग्रेजी में है उसे द्विभाषी बनाए जाने की कार्रवाई की जाए ।

45. राजभाषा विभाग उपर्युक्त क्रम संख्या 34 से 43 तक सिफारिशों को पूरा करने के लिए विशेष निगरानी रखे और इनको पूरा करने में जिस किसी कार्यालय को कठिनाई आ रही है उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से दूर करने के लिए कार्रवाई करे ।

(क्रम संख्या 36-45 का संदर्भ: भाग-3, अध्याय-11)

46. केंद्रीय सरकार की भर्ती हेतु आयोजित स्पर्धात्मक परीक्षाओं में कम से कम मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का हिंदी का एक अनिवार्य प्रश्न तैयार किया जाए, सिजमें उत्तीर्ण हुए बिना अभ्यर्थी को असफल माना जाए ।

(क्रम संख्या 46 का संदर्भ: भाग-3, अध्याय-12)

47. केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के तहत बड़े-बड़े मंत्रालयों/विभागों में निदेशक (राजभाषा) के पद यथावत बने रहें और संयुक्त सचिव (राजभाषा) के पद सृजित करने पर भी विचार किया जाए ।

48. जैसा कि अध्याय 13 के पैरा 13.33 तथा 13.35 में उल्लेख किया गया है समिति अपने प्रतिवेदन के छठे खंड में की गई सिफारिश को पुन: दोहराती है कि प्रत्येक मंत्रालय/विभाग अपने अधीनस्थ/संबध्द/उपक्रमों/प्रतिष्ठानों/संगठनों में एक राजभाषा संवर्ग स्थापित कर अपने राजभाषा कैडर से देश भर में स्थापित अपने सभी छोटे बड़े कार्यालयों में राजभाषा अधिकारी/कर्मचारी को तैनात कर सकते हैं । इससे उन्हें पदोन्नति के अवसर भी मिलेंगे ।

49. क्षेत्र 'ग' में हिंदी कार्मिक की नियुक्ति पर उसे विशेष भत्तो के रूप में प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिए और साथ ही ऐसी तैनाती एक सीमित

अवधि के लिए होनी चाहिए जिससे कि क्षेत्र 'क' के अभ्यर्थी बेझिझक क्षेत्र 'ग' में तैनाती स्वीकार कर लें ।

50. अनुवाद कार्य और राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी सभी संवर्गों (चाहे वे मंत्रालय/विभाग में हों या अधीनस्थ कार्यालयों में) में पदनामों तथा वेतनमानों में एकरूपता लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए।

(क्रम संख्या 47-50 का संदर्भ: भागग-3, अध्याय-13)

51. सभी केंद्रीय विद्यालयों/नवोदय विद्यालयों के साथ-साथ 'क' और 'ख' क्षेत्रों में स्थित राज्य सरकारों के नियंत्रण वाले सरकारी विद्यालयों में सभी विषयों की पढ़ाई दसवीं स्तर तक हिंदी माध्यम से तत्काल शुरू की जानी चाहिए, क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी को भी एक विषय के रूप में रखा जा सकता है । एक निर्धारित समय के उपरांत स्थिति की समीक्षा करके इसका विस्तार 'ग' क्षेत्र में भी किया जाए ।

52. विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों, अनुसंधान तथा व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में प्राध्यापकों की भर्ती में मैट्रिक स्तर तक का हिंदी ज्ञान अनिवार्य किया जाना चाहिए ताकि कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्हें अपना विषय हिंदी में पढ़ाने में कोई कठिनाई न हो ।

53. सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अनिवार्य रूप से हिंदी विभाग खोले जाएं और उनमें स्नातकोत्तार स्तर के हिंदी पाठयक्रम उपलब्ध होने चाहिए ।

54. सर्व शिक्षा अभियान जैसे राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रमों में केवल हिंदी माध्यम से पढ़ाई की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

55. विश्वविद्यालयों/तकनीकी/व्यावसायिक/अनुसंधान संस्थाओं आदि की प्रवेश परीक्षाओं में हिंदी माध्य का विकल्प अनिवार्य किया जाए ।

56. रेडियो/टेलीविजन जैसे इलैक्ट्रानिक संचार माध्यों के जरिए होने वाले शैक्षणिक प्रसारण केवल हिंदी में सुनिश्चित किए जाएं क्योंकि इनकी पहुंच दूर-दराज के क्षेत्रों तक रहती है ।

57. वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग जैसे संगठन उनके द्वारा हिंदी/द्विभाषी प्रकाशित पुस्तकों की विषयवार सूचियां विद्यालयों, विश्व विद्यालयों तथा अनुसंधान और व्यावसायिक संस्थानों को उपलब्ध कराएं और संगोष्ठियों और कार्यशालाओं के माध्यम से उन्हें उन पुस्तकों की उपलब्धता की जानकारी दें ।

58. केंद्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों और अन्य संस्थानों के विभागीय कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थानों में अत्यन्त तकनीकी विषयों को छोड़कर सभी प्रशिक्षण पाठयक्रम हिंदी माध्य से पढ़ाए जाने की व्यवस्था की जाए ।

59. प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुखों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टो में उनके द्वारा अपने संस्थानों में हिंदी के प्रयोग के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख किया जाए ।

(क्रम संख्या 51-59 का संदर्भ: भाग-3, अध्याय-14)

60. सार्वजनिक क्षेत्र के नए पंजीकृत होने वाले सभी उपक्रमों/निगमों का नामकरण अनिवार्य रूप से हिंदी में किया जाए । उपक्रमों/निगमों के अंतराष्ट्रीय महत्व को देखते हुए यदि आवश्यक हो तो हिंदी के साथ अंग्रेजी नाम भी पंजीकृत कराया जा सकता है ।

61. उपक्रमों/निगमों में विद्यमान सभी स्वदेशी और विदेशी यंत्रों/संयंत्रों पर समस्त विवरण हिंदी या द्विभाषी रूप में दर्ज किए जाएं ।

62. भविष्य में सभी उपक्रमों/निगमों के प्रतीक चिह्न/लोगो या तो द्विभाषी अथवा चित्रात्मक बनवाए जाएं ।

63. उपक्रमों/निगमों/कंपनियों के नए उत्पादों और ब्रांडों के नाम हिंदी में ही रखे जाएं ताकि अंतराष्ट्रीय जगत में उनकी अलग पहचान बनी रहे ।

64. उपक्रमों/निगमों द्वारा निर्यात योग्य समस्त सामग्री पर आवश्यक विवरण हिंदी या द्विभाषी रूप में ही अंकित किए जाएं ।

65. उपक्रमों/निगमों के ब्रोशर, बिल-बाउचर जैसी मुद्रित सामग्री और प्रचार-प्रसार संबंधी समस्त सामग्री अनिवार्य रूप से हिंदी अथवा द्विभाषी रूप में प्रकाशित की जाए ।

66. सभी उपक्रमों/निगमों की वेबसाइटें शत-प्रतिशत द्विभाषी रूप में तैयार की जानी चाहिए तथा उन पर वे अपने कार्य-कलापों और उत्पादों के बारे में अंग्रेजी के साथ-साथ अनिवार्य रूप से हिंदी में भी जानकारी उपलब्ध कराएं ।

67. उपक्रमों/निगमों में अनुवाद व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए यथावश्यक हिंदी पद सृजित किए जाएं और उपक्रमों/निगमों के मुख्यालय स्तर पर केंद्रीयकृत अनुवाद पैनल बनाए जाएं ताकि वे आवश्यकता पड़ने पर अपने कारपोरेट और सहयोगी कार्यालयों/कंपनियों को तत्काल अनुवाद उपलबध करा सकें ।

68. उपक्रमों/निगमों के सभी कम्प्यूटरों पर हिंदी सॉफ्टवेयर अनिवार्य रूप से डाले जाएं। यह सुविधा उनकी विदेश स्थित शाखाओं में भी उपलब्ध कराई जाए ।

(क्रम संख्या 60-68 का संदर्भ: भाग-3, अध्याय-15)

69. अंग्रेजी के अखबार में भी हिंदी के विज्ञापन दिए जा सकते हैं और हिंदी के अखबार में अंग्रेजी के विज्ञापन दिए जा सकते हैं । अतः सभी कार्यालय विज्ञापनों को द्विभाषी रूप में दें ।

(क्रम संख्या 69-70 का संदर्भ: भाग-3, अध्याय-16)

70. विज्ञापन की कुल राशि का न्यूनतम 50% हिंदी पर खर्च किया जाए और 50% अंग्रेजी एवं प्रांतीय भाषाओं पर किया जाए ।

71. पद सृजन संबंधी प्रक्रिया सरल एवं सुविधाजनक बनाई जाए ताकि पद सृजन में अनावश्यक विलंब न हो । वित्त मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा हिंदी पदों के सृजन पर किसी तरह की रोक न लगाई जाए । प्रत्येक छोटे-बड़े कार्यालय में, विशेष रूप से 'ग' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में, कार्य की प्रकृति व आवश्यकता के आधार पर हिंदी पदों के सृजन के लिए, वर्तमान मानकों में शिथिलता लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं ।

(क्रम संख्या 71 का संदर्भ: भाग-2, अध्याय-6 तथा 9, भाग-3, अध्याय-13)

72. हिंदी से संबंधित सभी पद संवैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाए गए हैं इसलिए नए सृजित एवं पहले से रिक्त पड़े पद तत्काल प्राथमिकता के आधार पर भरे जाएं। यदि किसी कारणवश कोई हिंदी पद तीन वर्ष अथवा उससे अधिक समय से न भरा गया हो तो भी उसे आगे भरने के लिए वित्त मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा कोई रोक न लगाई जाए ।

(क्रम संख्या 72 का संदर्भ: भाग-2, अध्याय - 9, भाग-3, अध्याय-13)

73. विदेश मंत्रालय सभी पासपोर्ट कार्यालयों में उपलब्ध कम्प्यूटरों पर द्विभाषी रूप में काम करने की सुविधा उपलब्ध करवाए ताकि पासपोर्टों में प्रविष्टियाँ द्विभाषी हों और उन्हें द्विभाषी जारी किया जा सके ।

(क्रम संख्या 73 का संदर्भ: भाग-2, अध्याय-9 तथा भाग-3, अध्याय-11)

74. वर्ष 2008 से केंद्रीय सरकारी सेवा में आने से पहले ही 'क', 'ख', 'ग' तथा 'घ' सभी वर्गों में होने वाली सीधी भर्ती के दौरान ही हिंदी संबंधी ज्ञान की न्यूनतम योग्यता निर्धारित की जाए ताकि बाद में प्रशिक्षण संबंधी तमाम परेशानियों एवं बाध्यताओं से बचा जा सके । हिंदी संबंधी न्यूनतम योग्यता भी 'क', 'ख', तथा ग' वर्ग के मामले में कम-से-कम दसवीं कक्षा अथवा उससे अधिक हो सकती है । वर्ग 'घ' के लिए यह योग्यता मिडिल/आठवीं कक्षा तक शिथिल की जा सकती है ।

(क्रम संख्या 74 का संदर्भ: भाग-2, अध्याय - 9, भाग-3, अध्याय-12)

75. कर्मचारियों के हिंदी का ज्ञान एवं उनके द्वारा किए गए हिंदी कार्य का ब्यौरा क्रमश: सेवा पंजिका तथा गोपनीय रिपोर्ट में अंकित किया जाए । साथ ही, हिंदी संवर्ग को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के संवर्गों से संबंधित पदोन्नतियों के लिए गठित विभागीय पदोन्नति समितियाँ, पदोन्नति के विचारार्थ अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किए गए हिंदी कार्य का मूल्यांकन कर उसे बोनस अंक प्रदान करें ।

(क्रम संख्या 75 का संदर्भ: भाग-3, अध्याय-13)